राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–30 / 2024
रवि पासवान बनाम् समीर आलम।

यह वाद श्री रवि पासवान एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त परिवाद के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदन के आधार पर बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन स्वतः संज्ञान के आधार पर प्रारंभ किया गया, क्योंकि परिवादी श्री रवि पासवान के परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सही पाया गया था।

नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत परिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया, जिसे उन्होने स्वीकार करते हुये, इस वाद के वादी बने। उनके द्वारा श्री समीर आलम, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, डिहरी नगर परिषद्, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, डिहरी नगर परिषद्, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री रवि पासवान का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री समीर आलम की ओर से उनका पक्ष स्वयं उनके द्वारा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री पुष्कर कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने संतानों के संबंध में गलत शपथ–पत्र दायर किया गया तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) अयोग्यता होने के बावजूद इनके द्वारा निर्वाचन में भाग लिया गया एवं चुनाव में विजय प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में अपने संतानों की संख्या दो (पुत्र–01 एवं पुत्री–01) अंकित की गयी है, जबकि दिनांक–04.04.2008 के पश्चात् उनके द्वारा एक संतान के उत्पन्न होने को स्वीकार किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके पत्नी द्वारा इसी चुनाव में अपने संतानों की संख्या–01 अंकित की गयी है तथा दिनांक– 04.04.2008 के पश्चात् उत्पन्न होने वाले संतान की संख्या अंकित नहीं की गयी है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वास्तव में प्रतिवादी के कुल चार संतान है–01. आरिफ शेख, जन्मतिथि–26.12.2012, 02. साहिमा प्रवीण, जन्मतिथि– 18.10.2011, 03. साबिया खातून, जन्मतिथि–02.03.2009 एवं 04. अमिष शेख, जन्मतिथि–15.04.2013। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि

जाँच में यह प्रमाणित हो चुका है कि उक्त सभी बच्चे प्रतिवादी के है। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में, जिन अभिलेखों को दिया गया है, वे सभी अभिलेख उनके परिवाद दायर करने के उपरांत तैयार किये गये है, जिसमें उनके भाईयों की मिली–भगत है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके एक भाई बिहार पुलिस में कार्यरत है, जिनके द्वारा गलत हलफनामा/शपथ–पत्र दिया गया है।

4. प्रतिवादी द्वारा अपना लिखित जवाब अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि उनकी दो शादियाँ हुयी हैं। प्रथम पत्नी स्व0 शबनम खातून की मृत्यु के उपरांत उनकी सहोदर बहन समा प्रवीण से उनकी शादी हुयी। प्रथम पत्नी से उनको कोई संतान नहीं हुयी, जबकि द्वितीय पत्नी से उन्हें दो संतान हुयी हैं। उनके संतानों में उनकी पुत्री साबिया खातून बड़ी है, जिसका जन्मतिथि–02.03.2009 है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनकी पुत्री वर्तमान में रामा रानी जैन बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ती है, न कि मध्य विद्यालय न्यू डिलियाँ में। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा सबिया खातून का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र, रामा रानी जैन बालिका उच्च विद्यालय में पंजीकरण फार्म एवं गौतम स्कूल से निर्गत SLC के छायाप्रति को जवाब के साथ संलग्न किया गया है।

उनके द्वारा जवाब में आगे बताया गया है कि उनका पुत्र आरिफ शेख है, जिसका जन्मतिथि–26.12.2016 है। अपने दावें के समर्थ में उनके द्वारा आारिफ शेख से संबंधित उनका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र एवं D.A.V. School के Admission Certificate के छायाप्रति को संलग्न किया गया है।

उनके द्वारा आगे बताया गया है कि दो बच्चे साहिमा प्रवीण आमिष शेख उनके भाई समीम शेख के संतान है। दावें के समर्थन में भाई समीम शेख का शपथ–पत्र तथा कथित भतीजी एवं भतीजा का जन्म प्रमाण–पत्र निवास प्रमाण–पत्र आधार कार्ड मुखिया एवं सरपंच द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र तथा प्राथमिक विद्यालय जलवासी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र एवं प्रवेश–पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1323/निर्वा0, दिनांक–11.05.2024, द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–

i. परिवादी श्री रवि पासवान एवं अन्य के द्वारा कहा गया है कि समीर आलम के कुल 04 (चार) संतान है, जिनका उम्र 07 वर्ष, 10 वर्ष, 12वर्ष एवं 14 वर्ष है एवं वे सभी गौतम राज्य मध्य विद्यालय, न्यू डिलियाँ, डिहरी में पढ़ते है। इस संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन की माँग की गयी, जिसमें नामांकन–पंजी के अनुसार:–

(a) साबिया खातून, पिता–मो0 समीर आलम, माता का नाम शम्मा प्रवीण, जन्मतिथि–02.03.2009 है।

(b) साहीमा प्रवीण, पिता–मो0 समीर आलम, माता का नाम शम्मा प्रवीण, जन्मतिथि–18.10.2011 है।

(c) आरिफ शेख, पिता–मो0 समीर आलम, माता का नाम शम्मा प्रवीण, जन्मतिथि–26.12.2012 है।

(d) अमिष शेख, पिता–मो0 समीर आलम, माता का नाम शम्मा प्रवीण, जन्मतिथि–15.04.2013 है।

प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि समीर आलम, वर्तमान वार्ड पार्षद(वार्ड नं0–20) के चार जीवित संतान है, तथा इन सभी का जन्मतिथि–04.04.2008 के बाद का है। इस संबंध में समीर आलम के द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने भाई के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर के यहाँ से शपथ–पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें आरिफ शेख एवं साहिमा प्रवीण को अपना संतान बताया गया है। वस्तुतः भाई द्वारा दिया गया शपथ–पत्र प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत नहीं होता है तथा कोई भी साक्ष्य यथा–आधार कार्ड, जन्मतिथि इत्यादि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii. सभी पुत्र एवं पुत्री गौतम राज्य मध्य विद्यालय, न्यू डिलियाँ, डिहरी में पढ़ते है इस संबंध में विद्यालय का नामांकन–पंजी की छायाप्रति।

iii. समीर आलम के मतदाता–सूची में दो जगह नाम दर्ज है। (क) राजपुर विधानसभा क्षेत्र–202(बक्सर) भाग संख्या–35 क्रम संख्या–1058 पर दर्ज है। (ख) डिहरी विधानसभा क्षेत्र–212(डिहरी) न्यू डिलियाँ, वार्ड संख्या–20, मतदाता–सूची में क्रम संख्या–231 में दर्ज है। इस संबंध में जाँच की गयी। समीर आलम का नाम मतदाता–सूची में दो जगह दर्ज है। समीर आलम के द्वारा 202(राजपुर) के BLO के हस्ताक्षर सहित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि वे वहाँ अपना नाम काटने का आवेदन दिये थे।

उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से शिकायतकर्त्ता का आरोप सही प्रतीत होता है।''

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी के जवाब में ही ऐसे साक्ष्य है, जिससे प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा बचाव दिये गये अभिलेख After Thought के परिचायक है। यथा–उनके भाई के शपथ–पत्र में उनके भाई का हस्ताक्षर नहीं है। उनके द्वारा दिये गये सभी जन्म प्रमाण–पत्र परिवाद के उपरांत निर्गत कराये गये, अतः साक्ष्य के रूप में इनका महत्व शून्य है। ठीक इसी प्रकार इनकी पत्नी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में अपने संतान की संख्या–01 अंकित की गयी है, जबकि मो0 समीर आलम द्वारा संतान की संख्या दो अंकित की गयी है। संतानों की जन्मतिथि के संबंध में प्रतिवादी शपथ–पत्र के साथ जवाब दिया गया है कि उनकी पुत्री की जन्मतिथि–02.03.2009 तथा पुत्र की जन्मतिथि–26.12.2016 है, जबकि नामांकन–पत्र में इनके द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत संतान की संख्या–01 अंकित की गयी है। उक्त सभी तथ्यों से यह प्रमाणित पाया गया कि प्रतिवादी गलत शपथ–पत्र देने के Habitual offender है। इनके द्वारा बचाव हेतु जालसाजी का भी प्रयोग

किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा अपने भाई का शपथ–पत्र दिया गया है, उनका हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

उक्त स्पष्ट प्रमाण–पत्र के बावजूद नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत उन्हें एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया। ताकि अपने बचाव में कुछ अन्य विश्वसनीय साक्ष्य यदि हो तो प्रस्तुत कर सकें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास को भी तथ्यों के विरोधाभाष के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आदेश दिया गया।

6. आयोग द्वारा दिये गये अवसर के बावजूद प्रतिवादी समीर आलम कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकें।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि साक्ष्यों को गढ़ने में प्रतिवादी श्री समीर आलम के दो भाईयों द्वारा उनका सहयोग किया जा रहा है। उनके एक भाई बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक है, परन्तु अबतक उनके द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षरयुक्त शपथ–पत्र से स्वीकार नहीं किया गया है कि शाहिमा प्रवीण एवं आमिष शेख उनके संतान है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी के एक भाई शिक्षक है, जो जलवासी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक है। उक्त दोनों भाईयों द्वारा धोखाधड़ी में अपने भाई को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उनके द्वारा आयोग को बताया जा रहा है कि जलवासी विद्यालय के जिस प्रवेश–पंजी के आधार पर प्रतिवादी का दावा है कि आमिष शेख एवं शाहिमा प्रवीण मो0 समीम शेख के संतान है, उस नामांकन–पंजी को ध्यान से देखा जाए, तो उन दोनों बच्चों के पिता के नाम के सम्मूख मो0 समीम शेख, तो अंकित है, परन्तु पेशा के रूप में एक के सामने "नौकरी", वहीं दूसरे के नाम के सम्मूख "खेती" अंकित है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये , वजीफा में शाहिमा प्रवीण एवं आमिष शेख की माता के रूप में समा प्रवीण का नाम दर्ज है, जो कि समीर आलम की पत्नी है। स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि परिवार के सभी सदस्य इस आपराधिक षड़यंत्र में शामिल है। उक्त दोनों भाई (मो0 अख्तर शेख, शिक्षक, जलवासी प्राथमिक विद्यालय, इटाढ़ी, बक्सर एवं मो0 समीम शेख, सहायक अवर निरीक्षक, घोसवरी थाना, जिला, पटना) भी सरकारी सेवक हैं। अतः उन्हें ऐसे षड़यंत्र के लिये पदच्युत किया जाना चाहिये।

उपस्थित प्राधिकृत पदाधिकारियों जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का दावा सत्य है। प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के 04(चार) संतान है, जिनका साक्ष्य प्रधानाध्यापक, गौतम महाविद्यालय न्यू डिलियाँ, डिहरी, रोहतास के पत्रांक–14, दिनांक–08.02.2024 से प्राप्त है। नामांकन–पंजी में चारों संतानों का नाम, पिता एवं माता का नाम तथा जन्मतिथि अंकित है। प्रतिवादी द्वारा दिये गये बचाव में जितने भी अभिलेख दिये गये हैं, वे सभी या तो फर्जी हैं, या परिवाद दाखिल किये जाने के उपरांत तैयार कराये गये है। जिला

शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा जलवासी प्राथमिक विद्यालय के नामांकन–पंजी की जाँच की गयी, तो पाया गया कि मो0 अख्तर शेख, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के नाम को हेर–फेर कर प्रवेश–पंजी में अंकित किया गया है। यह सत्य है कि नामांकन–पंजी में शाहिमा प्रवीण एवं आमिष शेख के माता–पिता के रूप में समीम शेख एवं मुन्नी खातून का नाम अंकित है, परन्तु वजीफा वाले "रेकर्ड" में माता का नाम शमा प्रवीण अंकित है, जो कि समीर आलम की पत्नी है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दोषी प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन दो दिनों में समर्पित कर दिया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पत्रांक–2444/निर्वा0, दिनांक–28.10.2024 द्वारा पूरक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है:–

A. प्रतिवादी समीर आलम के भाई समीम शेख का शपथ पत्र संख्या–2761/15.02.2024 की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें आवेदक समीम शेख का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त शपथ–पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी स्तर से निर्गत है।

B. नामांकन रजिस्टर में समीम शेख की पत्नी का नाम शमा प्रवीण है। शमा प्रवीण, समीर आलम की द्वितीय पत्नी है, जबकि वास्तव में समीम शेख की पत्नी का नाम मुन्नी बेगम है।

C. दोनों बच्चों आमिष शेख(15.04.2013) शाहिमा प्रवीण(18.10.2012) की जन्मतिथि में छ माह से भी कम का अन्तर है।

D. शाहिमा प्रवीण का जन्म प्रमाण–पत्र हेतु निबंधन की तिथि–06.10.2021 है तथा निर्गत की तिथि–13.07.2024 है। यह भी कि इस प्रमाण–पत्र में इनका जन्मतिथि–18.10.2021 दर्ज है। साथ ही आमिष शेख का जन्म प्रमाण–पत्र का निबंधन तिथि–10.07.2024 एवं निर्गमन तिथि भी 10.07.2024 ही अंकित है।

E. नामांकन–पंजी में शमीम शेख का हस्ताक्षर दोनों बच्चों के नामांकन में अलग–अलग है।"

7. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री समीर आलम (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, डिहरी नगर परिषद्, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, डिहरी नगर परिषद्, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास के पद पर निर्वाचित हो गये है।"

आयोग द्वारा यह पाया गया कि समीर आलम, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, डिहरी नगर परिषद्, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास द्वारा अपने नामांकन–पत्र एवं शपथ–पत्र में संतानों की संख्या के बारे में तथ्यों को छुपाते हुये, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया है तथा उसमें विजय पायी गयी है। आयोग के इस निर्णय का आधार जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा उपलब्ध कराया गया, प्राथमिक प्रतिवेदन तथा प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में दिये गये फर्जी एवं Manufactured Documents है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का प्रमुख कारण यह है कि प्रतिवादी समीर आलम नगर परिषद् डिहरी के वार्ड संख्या–20 में निवास करते है तथा गौतम मध्य विद्यालय न्यू डिलियाँ, डिहरी भी डिहरी नगर परिषद् क्षेत्र में अवस्थित है। प्रवेश–पंजी में विद्यार्थियों का नामांकन उनके माता–पिता द्वारा उपलब्ध कराये गये, सूचना के आधार पर ही किया जाता है, ऐसी स्थिति में सरकारी विद्यालय का प्रवेश–पंजी, जो कि एक Public Documents है, साक्ष्य के रूप में बहुत अधिक महत्व रखता है।

प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में जो भी साक्ष्य दिया गया है, वह या तो फर्जी है या अपने दोनों सरकारी सेवक भाईयों के मदद से तैयार किया गया है, अथवा परिवर्तनीय साक्ष्यों यथा–आधार कार्ड आदि में परिवर्तन कर प्रस्तुत किया गया है। अतः इस साक्ष्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यथा– प्रतिवादी के भाई समीम शेख द्वारा किसी भी शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। ठीक उसी प्रकार उनका भाई मो0 अख्तर शेख द्वारा नामांकन–पंजी में छेड़–छाड़ कर साक्ष्य बनाने का तो प्रयास किया है, परन्तु उनके द्वारा किये गये उक्त प्रयासों को जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा उजागर किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अभिलेखों के साक्ष्यों के छेड़–छाड करने एवं कूट–रचना करने के लिये समीर आलम के भाई, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मो0 अख्तर शेख को निलंबित भी किया गया है।

सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा एक रोचक साक्ष्य भी लाया गया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी की पत्नी द्वारा भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया तथा उनके द्वारा नामांकन–पत्र में अपने संतान की संख्या एक दर्शायी गयी है। स्पष्ट है कि दोनों पति–पत्नी संतानों की संख्या को लेकर गलत शपथ–पत्र दायर करने में कोई संकोच नहीं करते।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री समीर आलम को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहे। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्री समीर आलम को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर,

जिला–रोहतास के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) कंडिका–क के निर्णय से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा गलत शपथ–पत्र के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया है। अतः प्रतिवादी गलत हलफनामा दायर करने एवं तथ्य छुपाने के स्वभाविक दोषी है। अतएव जिला पदाधिकारी, रोहतास को आदेश दिया जाता है कि श्री समीर आलम के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, रोहतास के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
26.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
26.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–30/2024/2902 पटना, दिनांक–26/06/2025

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–30/2024/2902 पटना, दिनांक–26/06/2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास/उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–30/2024/2902 पटना, दिनांक–26/06/2025

प्रतिलिपि–श्री समीर आलम, पिता–मो0 उस्मान शेख, वार्ड संख्या–20, न्यू डिलियाँ, थाना–डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास(सासाराम), पिन–821307 एवं श्री रवि पासवान, पिता–श्री दुधनाथ पासवान, वार्ड संख्या–20, न्यू डिलियाँ, थाना–डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास(सासाराम), पिन–821307 (पदमुक्त वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–30/2024/2902 पटना, दिनांक–26/06/2025

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त